न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
163 / 2025

दायर दिनांक
26.03.2025

निर्णय दिनांक
16.12.2025

उनवान

1. रामपाल जाट पुत्र गोकुल जाट निवासी खजीना तहसील कोटडी, वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
2. भूरालाल जाट पुत्र गोकुल जाट निवासी खजीना तहसील कोटडी, वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जरिये नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा।

— विपक्षी

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री मनमोहन शर्मा उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 की और से पैराकार सरकार।**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खजीना पटवार हल्का आकोला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बडलियास तहसील कोटडी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1883/2 रकबा 0.4371 हैक्टेयर (02–14 बीघा) भूमि स्थित है। वादग्रस्त आराजियात संवत् 2066–20699 में गोकल पिता नाराण, मोती पिता हरलाल जाट के नाम पर दर्ज है, उक्त आराजियात में खातेदार गोकल पुत्र नाराण जाट 1/2 हक हिस्सा प्रार्थीगण द्वारा क्रय किया गया, जो नामान्तकरण संख्या 677 दिनांक 24.11.2010 से खोला गया, जो जमाबन्दी में रामपाल, भूरालाल पुत्र गोकल के रूप में दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा हाल ही में राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी रामपाल पुत्र गोकल की जगह रामलाल पुत्र गोकल व भूरालाल पुत्र गोकल की जगह मथुरा लाल पुत्र गोकल जाट दर्ज कर दिया है, जो कि लिपीकीय टंकण त्रूटि हुई है। उक्त त्रुटि सदभाविक त्रुटि है, प्रार्थीगण का गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण के वैध हक अधिकारों का हनन हो रहा है। न्यायहित में उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त करने से किसी भी आमजन के हक अधिकारों पर विपरित प्रभाव नहीं पडेगा।

अतः प्रार्थना है कि ग्राम खजीना पटवार हल्का आकोला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बडलियास तहसील कोटडी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1883/2 रकबा 0.4321 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम रामलाल पुत्र गोकल, मथुरा लाल पुत्र गोकल जाट के बजाय रामपाल पुत्र गोकल जाट, भूरालाल पुत्र गोकल जाट दुरूस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 नायब तहसीलदार बडलियास का जवाब पत्रांक 791 दिनांक 31.10.2025 से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार ग्राम खजीना की आराजी नम्बर 1883/2 रकबा 0.4371 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण रामपाल पिता गोकल जाट निवासी खजीना द्वारा एवं भुरालाल पिता गोकल जाट निवासी खजीना द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 2010000785 दिनांक 24.05.2010 से खातेदार गोकल पिता नाराण जाट निवासी खजीना का हिस्सा क्रय किया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 677 दिनांक 24.11.2010 से खोला जाकर रामपाल, भुरालाल पुत्र गोकल जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज किया गया। किन्तु सहवन से उक्त नामान्तकरण का जमाबन्दी में अमल दरामद करते समय ग्राम खजीना की रोटेशन सवंत 2066–2069 की खाता संख्या 66 पर नामान्तकरण 677 दिनांक 24.11.2010 से बिकाव से गोकल पिता नाराण के बजाय रामलाल, मथुरालाल पिता गोकल 1/2 जाट सा0 देह के नाम दर्ज का दाखला लगा दिया गया जबकि रामपाल, भुरालाल पिता गोकल 1/2 जाट सा0 देह खातेदार अमल दरामद होना चाहिये था। इस प्रकार खातें में सहवन से गलत अमल दरामद हो जाने से त्रुटि हुयी है। जो वर्तमान खातें में त्रुटि है। अतः अब ग्राम खजीना के आराजी नम्बर 1883/2 रकबा 0.4371 हैक्टेयर में मथुरालाल पुत्र गोकल 1/4 जाट सा0 देह खातेदार के बजाय भुरालाल पुत्र गोकल 1/4 जाट सा0 देह खातेदार एवं रामलाल पुत्र गोकल 1/4 के बजाय रामपाल पुत्र गोकल 1/4 जाट सा0 देह खातेदार दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस, विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गय पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। नायब तहसीलदार बडलियास से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का नाम **मथुरालाल पुत्र गोकल जाट के बजाय भुरालाल पुत्र गोकल एवं रामलाल पुत्र गोकल जाट के बजाय रामपाल पुत्र गोकल जाट** संशोधित किये जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम खजीना पटवार हल्का आकोला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बडलियास तहसील कोटडी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1883/2 रकबा 0.4371 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम **मथुरालाल पुत्र गोकल जाट के बजाय भुरालाल पुत्र गोकल एवं रामलाल पुत्र गोकल जाट के बजाय रामपाल पुत्र गोकल जाट** इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा